A

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BIHAR

5303-4
2/1/08

श्रीमति वीणा कुमारी [illegible]
जोखी साहु लेन, भागलपुर।
50x2 = 100/- रुपये मात्र

[illegible] JAN 2008

[illegible] पदाधिकारी

1-नाम वो पता:- लेख्यकारिगण	1-श्री गोकर्ण प्रसाद टिवड़ेवाला पिता स्व0 भालीराम टिवड़ेवाला।
	2-श्री गोपाल कृष्ण (टिवड़ेवाला) ¦ सभी पुत्र
	3-श्री राकेश कुमार (टिवड़ेवाला) ¦ गण एवं
	4-श्री चन्द्र प्रकाश (टिवड़ेवाला) ¦ पुत्री
	5-श्रीमति मीना देवी

श्री गोकर्ण प्रसाद टिवड़ेवाला, सभी जाति अग्रवाल पेशा-व्यवसाय एवं गृहकार्य वगैरह, साकिनान-महल्ला-मुन्दीचक, जोखी साहू लेन थाना-कोतवाली हाल थाना- तिलकामांझी, अन्दर शहर, अवर निबंधन कार्यालय वो जिला- भागलपुर।

2-नाम वो पता: लेख्यधारिणी -श्रीमति वीणा कुमारी पत्नी श्री राकेश कुमार टिवड़ेवाल, जाति अग्रवाल पेशा-गृहस्थी वगैरह, साकिन-मुहल्ला-मुन्दीचक, जोखी साहू लेन, थाना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

9203-4
2/1/08

D 242379

बिहार BIHAR

-2-

कोतवाली, हाल थाना-तिलकामाँझी, अन्दर शहर अवर निबंधन कार्यालय वो जिला-भागलपुर

राष्ट्रीयता-भारतीय।

3-लेख्य प्रकार:- पारिवारिक व्यवस्था सह आपसी समझौता

4-लेख्य मुल्य - शुन्य

5-लेख्य सम्पत्ति का पूर्ण विवरण:-

शिडयुल (क)

(3)

(5)

(4)

अपना-अपना कुल हक हिस्सा सोलह आना ... अराजी बसोवासी पक्का मकानात वगैरह म... कुल लेवाजमात, जिस तरह अराजी मजकुर पर ... है, मय कुल हक हकूक दखली वो मलकीयत ... वो रोशनी पानी निकासी रोजाना वो ... मय आमद रफत अगुआड़ा वो पिछुवाड़ा ... अराजी मवाजी 4 चार कट्ठा 17 सतरह ... आठ धुरकी (चार कट्ठा सात धूर आठ धुरकी)

बेनाप एक कट्ठा बराबर 1102 वर्गफीट के हिसाब से बेवाला के आधार तथा वर्तमान नगरपालिका सर्वे के अनुसार कुल मवाजी .0455 हेक्टर, वाके महल्ला- मुन्दीचक,जोसु साह लेन, थाना कोतवाली हाल थाना - तिलकामांझी, अन्दर शहर,अवर निबंधन कार्यालय वो जिला- भागलपुर जिसका नगरपालिका पुराना होल्डिंग नं0 बेवाला के अनुसार 5,15 वो 16 अन्दर सर्कल नं0-3 वार्ड नं0-2 तथा हाल नगर निगम होल्डिंग नं0- 21 अन्दर वार्ड नं0-12/28 हाल नगर निगम चुनाव के बाद वार्ड नं0- 37 है। हाल नगरपालिका सर्वे खाता नं0-226 खसरा नं0-111 क,ख अन्दर सर्वे वार्ड नं0-12 है वो बजमींदारी बिहार सरकार अंचल कार्यालय जगदीशपुर अन्दर नगर निगम भागलपुर के है तथा वर्तमान में जिसका चौहद्दी सम्पूर्ण जायदाद का निम्न प्रकार है: -

उत्तर: -	जोसी साहु लेन ।
दक्षिण: -	फागु साह वो जगरनाथ साह ।
पूरब: -	मोलवी सहामत हुसेन वो लतीफ आलम अधिवक्ता हाल अयोध्या प्रसाद परिवार ।
पश्चिम: -	भुसी साह परिवार ।

शिडयूल - (ख)

एक दुकान पोख्ता किरायदारी का जिसके चार मालिकान श्री बलराम प्रसाद वगैरह हैं, वाके महल्ला- खलीफाबाग, डी0एन0 सिंह रोड, थाना कोतवाली अन्दर शहर अवर निबंधन कार्यालय वो जिला-भागलपुर जिसका नगर निगम होल्डिंग नं0-88/96 का पार्ट पुराना अन्दर वार्ड नं0-14 पुराना वर्तमान होल्डिंग नं0-123,123/1,123/2 एवं 123/3 का पार्ट अन्दर वर्तमान वार्ड नं0-29 वर्तमान नगर निगम चुनाव के बाद वार्ड नं0-38 है। जो डी0एन0 सिंह मुख्य सड़क पर अवस्थित है तथा जिसके किराये की रसीद लेख्यकारी नं0-1 श्री गोकर्ण प्रसाद टिबड़ेवाल के नाम से शुरु से आज तक निर्गत होता चला आ रहा है। उपरोक्त दुकान फर्म मेसर्स लाईट सेन्टर के नाम से जाना जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार से है: -

1- Girdhari Lal Tibrewal 21-01-08
2- Gopal Krishna 21/1/08
3- Rakesh Kumar 21/01/08
4- Chandra Prakash 21-1-08
5- Mina Devi 21-1-08

उत्तर: - दुकान घर ईसार किरायेदार श्री रमेश चन्द्र पोद्दार ।

दक्षिण: - दुकान सुर्बोदय किरायेदार नारायण प्रसाद झुनझुनवाला मालिक मकान श्री बलराम प्र0 वगैरह।

पूरब: - नीज मालिक मकान बलराम प्रसाद वगैरह।

पश्चिम: - डी0एन0 सिंह रोड ।

--: सन्दर्भ :--

चुं तालिका जायदाद खाना नं0-5 वाला के सिड्यूल (क) वाली सम्पूर्ण जायदाद लेख्यकारी नं0-1 की माता एवं लेख्यधारी नं0-2 से 5 तक को दादी नारायणी देवी टिबड़ेवाला के नाम से खरीदगी सम्पत्ति है, जिसे बजरिये तीन निबंधित केवाला द्वारा खरीद कर हासिल किया है, जिसका दस्तावेज सं0-क्रमश: 7567 पु0 सं0-1 वोलूम सं0-49 पेज नं0- 573 से 579 दिनांक 28-7-196 दस्तावेज सं0- 9077 पुस्तक सं0-1 वोलूम सं0-63 पेज सं0- 70 से 75 दिनांक 11-10-1961 एवं दस्तावेज सं0-9118 पुस्तक सं0-1 भो[illegible] सं0- 62 पेज नं0-1 से 4 दिनांक 12-10-1961 सभी जिला अवर निबंधन कार्यालय भागलपुर में सम्पादित हुआ है। तथा बाद खरीदगी नगरपालिका/नगर निगम एवं अंचल सिरिस्ता में नाम दर्ज होकर अदाय टैक्स वो लगान के रसीद हासिल है तथा हाल नगर पालिका सर्वे में भी खतियान नारायणी देवी पति भालीराम टिबड़ेवाला के नाम से दर्ज पाया है।

यह कि खरीदगी के समय उपरोक्त सम्पत्ति परती [illegible] थी तथा कुछ भाग पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोठरीनुमा मकान आदि बना था जिसे लेख्यकारी नं0-1 ने अपने श्रम एवं पूंजी से धीरे-धीरे सम्पूर्ण पुरानी भवन को ध्वस्त कर नये सिरे से अपने [illegible] के रहने लायक बनवाया है, इसमें दिगर लेख्यकारीगण का कुछ भी [illegible] योगदान नहीं है।

योगदान नहीं है।

यह कि उपरोक्त नारायणी देवी टिबड़ेवाल की मृत्यु दिनांक 26-7-1999 ई0 को हो चुकी है। बाद मृत्यु नारायणी देवी टिबड़ेवाला के उनके एकमात्र पुत्र लेख्यकारी नं0-1 गोपाल प्र टिबड़ेवाला हिन्दू विधि के मिताक्षरा शास्त्र के अनुसार अपने संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता खानदान चले आते हैं तथा उपरोक्त सम्पत्ति में अपने श्रम एवं पूंजी द्वारा नारायणी ी टिबड़ेवाला के जीवन काल से ही उसमें विकास आदि आज तक क ा चले आ रहे हैं। इस प्रकार लेख्यकारी नं0-1 को तालिका जायदा खाना नं0-5 वाला के सिड्यूल (क) वाली सम्पत्ति के एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं तथा तालिका जायदाद खाना नं0 वाला के सिड्यूल (क) वाली सम्पत्ति को किसी भी रुप में कि को भी हस्तांतरित करने का पूरा-पूरा सोलह आना स्वत्व हक अधिकार हासिल है वो चला आता है चूंकि लेख्यकारीगण हिन्दू विधि के मिताक्षरा शास्त्र के अन्तर्गत नियंत्रित होते हैं, इसलिए इस दस्तावेज में दिगर लेख्यकारीगण को कानूनन पक्षकार बनाय गया है ताकि भविष्य में कोई तकनीकी वो कानूनी व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके।

यह कि तालिका जायदाद खाना नं0-5 वाला के सिड ्‌ (ख) वाली सम्पत्ति दुकान लाईट सेन्टर मय उसमें लगे सम्पूर्ण असबाब स्टाक एवं गुडविल एवं सम्पूर्ण लेन-देन आदि लेख्यकारी 1 की नीजी श्रम एवं पूंजी से निर्मित एवं विकसित सम्पत्ति है, ार सम्पूर्ण मालिकाना हक वो अधिकार लेख्यकारी नं0-1 का शुरु आज तक चला आता है, तथा किराये की रसीद भी शुरु से आ तक लेख्यकारी नं0-1 के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। इ प्रकार तालिका जायदाद खाना नं0-5 वाला के सिड्यूल (ख) वा ा सम्पत्ति लेख्यकारी नं0-1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे लेख्यका नं0-1 को किसी भी रुप में किसी को भी हस्तांतरित करने का

पूरा-पूरा सोलह आना हक वो अधिकार हासिल है ।

यह कि लेख्यकारी नं0-1 ने अपने जीवन काल में ही अपनी नीजी श्रम एवं पुंजी से लेख्यकारी नं0-2 से 4 का दिल्ली में अलग - अलग आवास, व्यवसाय एवं पुंजी की व्यवस्था कर स्थायी रुप से बस दिये हैं । इन दिनों उपरोक्त लेख्यकारी नं0-2 एवं 4 दिल्ली में का[illegible] सुखी सम्पन्न एवं खुशहाल हैं तथा भागलपुर में रहना नहीं चाहते हैं [illegible] पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत तालिका जायदाद खाना नं0-5 वा[illegible] के सिडयूल (क) एवं (ख) में अपना कोई हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं, चूंकि उनलोगों का जो भी कानूनन हिस्सा बनता है, उससे कहीं ज्या[illegible] मुल्यांकन की सम्पत्ति दिल्ली में उनलोगों को मिल चुकी है। चूंकि भविष्य में कोई कानूनी वो तकनीकी व्यवधान उत्पन्न नहीं होने [illegible] इसलिए लेख्यकारी नं0-2 एवं 4 को पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्ग आवश्यक पदाकार बनाया गया है।

यह कि लेख्यकारी नं0-1 अपनी पुत्री लेख्यकारी नं0-5 श्रीमति मीना देवी की शादी भी अपनी नीजी अर्जित सम्पत्ति से [illegible] सम्पन्न परिवार में कर दिया है और लेख्यकारी नं0-5 अपने ससुर[illegible] में काफी सुखी सम्पन्न हैं, इसलिए अपने पिता की उपरोक्त सम्प[illegible] खाना नं0-5 वाला के सिडयूल (क) एवं (ख) में अपना कोई हिस्सा लेना नहीं चाहती हैं। चूंकि भविष्य में कोई कानूनी वो तकनीकी व्यवधा[illegible] उत्पन्न न होने पावे इसलिए लेख्यकारी नं0-5 को पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस दस्तावेज में आवश्यक पदाकार बनाया गया है।

1- Govinda Pd. T[illegible] 21.01.08
2- Gopal Kri[illegible] 21/1/08
3- Pawan Kumar [illegible]
4- Chandra Prak[illegible]
5- Mina Devi [illegible]

यह कि दिनांक 08-08-2006 ई0 को लेख्यकारी नं0-[illegible] की पत्नी सुशीला देवी भी स्वर्गवास कर चुकी हैं तथा लेख्यकारी नं0[illegible] भी इन दिनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं तथा अपने आपको अ[illegible] करने में असक्षम महसुस करने लगे हैं तथा अब अपना शेष जीवन सेवा[illegible] के रुप में व्यतीत करना चाहते हैं लेकिन लेख्यकारी नं0-1 को [illegible] यह चिन्ता बनी रहती है तो तनावग्रस्त रहते हैं कि वह अभी त[illegible] लेख्यकारी नं0-3 के लिए कुछ स्थायी रुप से व्यवस्था नहीं कर [illegible] हैं, ताकि उनका जीवन भी सुखमय व्यतीत हो सके । लेख्यकारी नं0-[illegible] को

लेख्यकारी नं0-3 एवं उनकी पत्नी लेख्यधारीणी से एवं उनके बच्चों से काफी लगाव स्नेह एवं प्रेम है चूंकि दिगर लेख्यकारीगण भाग… शहर से बाहर स्थायी रुप से रहने लगे हैं। यह जानकर लेख्यकारी नं0-3 उनकी पत्नी लेख्यधारीणी एवं उनके बच्चे लोग भी लेख्यकारी नं0-1 की काफी सेवा सुश्रषा एवं देख-भाल एवं इन्तेजामात आदि में नि:स्वार्थ भाव से वो तनमयता से बिना किसी प्रकार के लोभ लालच वो प्रलोभन के अपना पिता एवं कर्त्तव्य समझकर करते चले आ रहे हैं। लेख्यकारी नं0-3 एवं उनकी पत्नी लेख्यधारिणी एवं उनके बच्चे भागलपुर में ही स्थायी रुप से रहना चाहते हैं वो व्यवसाय कर अपना जीविको पार्जन करना चाहते हैं। यह जानकर लेख्यकारीगण ने आपसी आपसी सलाह मशवरा से एक पारिवारिक समझौता के तहत यह तय किया कि तालिका जायदाद खाना नं0-5 वाला के सिडयूल (क) वाली सम्पत्ति लेख्यधारिणी श्रीमति वीणा कुमारी पति राकेश कुमार टिबड़ेवाल के नाम से बंटवारा कर हस्तांतरण कर देंगे तथा तालिका जायदाद खाना नं0-5 वाला के सिडयूल (ख) वाली सम्पत्ति/दुकान लाईट सेन्टर सभी माल असबाब एवं पूंजी वो गुड़विल लेन-देन … लेख्यकारी नं0-3 के नाम हस्तांतरण कर देवें ताकि उपरोक्त लेख्यकारी गण के समतुल्य मुल्यांकन का सम्पत्ति इसे मिल सके एवं वे लोग अपने परिवार सहित सुखी सम्पन्न वो सुखमय जीवन व्यतीत कर … । इस आशय का प्रस्ताव चन्द खस-खास लोगों से एवं परिवार के हितैषियों एवं शुभ चिन्तकों से भी किया, जिसे जानकर सभी लोगों ने भी ऐसा ही करना उचित समझकर सभी लोगों ने अपना- अपना सुझाव वो स्वीकृति स्वतंत्र सहमति से प्रदान किया। लेहाजा जरये तहरीर वो तामिल करने यह पारिवारिक व्यवस्था सह आपसी समझौता दस्तावेज हाजा की हुई।

यह कि लेख्यकारी नं0-1,2,4 एवं 5 धर्म पूर्वक वो निष्ठापूर्वक यह एकरार मातबीर करते हैं वो लिख देते हैं कि तालिका जायदाद खाना नं0-5 वाला के सिडयूल (क) वाली सम्पूर्ण सम्पत्ति आज … इस दस्तावेज हाजा से लेख्यधारिणी श्रीमति वीणा कुमारी पति …

राकेश कुमार टिबड़ेवाल का हुआ वो आगे भी होता रहेगा। लेख्य धारिणी जिस कदर भी चाहें अपने भोग सुख वो मशरूफ में ले यें इससे हम लेख्यकारीगण एवं उनके वारिशान कायम मोकामान को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति करें या करावें या पेश लावें तो वह सरासर गलत गैरकानूनी, बातिल वो नाजायज अदालत हाजा के माना जायेगा।

यह कि ठीक उसी प्रकार तालिका जायदाद खाना नं० 5 वाला सिड्यूल (ख) वाली सम्पत्ति दुकान जो मेसर्स लाईट सेन्टर के नाम से जाना जाता है के सम्पूर्ण मालिक [illegible] इस दस्तावेज हाजा से लेख्यकारी नं०-3 श्री राकेश कुमार टिबड़ेवाल का हुआ वो आगे भी होता रहेगा; इससे दिगर लेख्यकारीगण या उनके वारिशान कायम मोकामान को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अगर भविष्य में कोई आपत्ति करें या करावें या पेश लावें तो वह सरासर गलत गैरकानूनी बातिल वो नाजायज अदालत हाजा के माना जायेगा।

यह कि अब लेख्यधारिणी को चाहिए कि वह अपना नाम नगर निगम पंजी एवं बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता, जमशेदपुर में दर्ज कराकर व अदाय टैक्स वो लगान के अपने नाम का रसीद हासिल किया करें, वक्त जरूरत के हम सभी लेख्यकारीगण लिखित वो मौखिक अपना-अपना इजाव दाखिल कर देंगे।

यह कि ठीक उसी प्रकार अब लेख्यकारी नं०-3 को चाहिए कि वह अपना नाम उपरोक्त सम्पत्ति के निस्वत सरकारी महकमा में प्रोपराईटरशीप आदि के लिए दर्ज कराकर आईन्दे अपने नाम का प्रमाण पत्र वो किराया की रसीद हासिल किया करें। इसके लिए हम सभी लेख्यकारीगण अपना-अपना लिखित वो मौखिक इजाव दाखिल कर देंगे।

यह कि इस दस्तावेज को तहरीर वो तामिल हो जाने पर अब लेख्यकारी नं०-1 चिन्ता मुक्त वो तनाव मुक्त हो गये हैं तथा लेख्यकारीगण के आपस में भी भाईचारा का मधुर संबंध सदा के लिए कायम हो गया अब लेख्यकारी नं०-1 का भरण-पोषण आदि लेख्यकारीणी एवं उनके पति लेख्यकारी नं०-3 के जिम्मे रहा दिगर-पक्ष को कोई मतलब नहीं

1. Ritesh Pd. Tibrewal 21-01-08
2. Gopal Kr. ... 21/1/08
3. Rakesh Kumar 21/1/08
4. Chandra Tibrewal 21/1/08
5. Bina Devi 21/1/08

रह गया है वो भविष्य के लिए भी हितकारी, हो गया है ।

इसलिए यह चुंद कलमा बतौर पारिवारिक व्यवस्था सह आपसी समझौता दस्तावेज पक्षकार हाजा ने खुद से पढ़कर वो पढ़वाकर सुन वो समझ बुझकर वो भी सही वो दुरुस्त पाकर स्वतंत्र सम्मति से अपना-अपना चित्त एवं बुद्धि को स्थिर कर शुद्ध तन-मन की अवस्था में अपनी अपनी स्वीकृति प्रदान कर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर नियमानुकूल कर तहरीर वो तामिल कराकर लेख्यकारी सं0-3 राकेश कुमार टिबड़ेवाल एवं लेख्यधारिणी श्रीमति वीणा कुमारी पति श्री राकेश कुमार टिबड़ेवाल के कर दिया ताकि वक्त जरूरत के काम आवे वो भी भविष्य के लिए प्रमाण रहे।

वाजे रहे कि इस दस्तावेज को मुद्रांक पत्रादि पर कुल एक मूल प्रति में टंकित कर तैयार किया गया है, जिसपर सभी पक्षकारों एवं गवाहों का हस्ताक्षर सिप्त है, इसकी छायाप्रति सभी पक्षकारों के पास आईन्दे सबूत के रहेगा। जो मूल प्रति माना जायेगा।

आज तारीख- 21 माह जनवरी सन् 2008 ई0को यह दस्तावेज तामिल हुआ, किन्तु दि001 अप्रैल 08 से लागू माना जायेगा।

हस्ताक्षर गवाहान

1- Kusumlata 21/1/08 (W/o Gopal Krishna Tibrewala)

2- Sheila 21/1/08 (W/o Chandra Prakash Tibrewala)

3- [signature] 21/1/08 (Sajjan Kodia)

4- Gopal Krishna Ma Ma wala S/o Lt. Chhotelal Ma Ma wala Patal Babu Road Bhagalpur

5- Shankar Lal Jain 21/1/08 M.P.D. Road, Bhagalpur S/o Late Chimni Lal Jain

टंकक-मो0 रजी अहमद

न्या0 हा0, भागलपुर।

Md. Razi Ahmad 21/1/08

हस्ताक्षर लेख्यकारीगण

1- Ganesh Prd. Tibrewal 21-01-0

2- Gopal Krishna 21/1/08

3- Rakesh Kumar 21-01-08

4- Chandra Prakash 21-01-08

5- Mina Devi 21-01-08

हस्ताक्षर लेख्यधारिणी

वीणा कुमारी 21.1.08

प्रारूपक Neeraj Kumar Tibrewal East Gurhatta Road, Bhagalpur 21/01/2008 अधिवक्ता Regn. No. 5 86

Sch. XIV.—F.No. 180V

V

बि०स०मु०, पटना।
फरद मालकी/फरद रैयती।

Y/3 जि०न० 226

0682126

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजामय	थाना वो थाना नम्बर।	नाम रैयतमय वल्दियत जमाबन्दी।	वो सकूनत। नम्बर
खादिमपुर	वार्ड न०	श्रीमति	वीणा कुमारी

अराजी नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली।
.04558	पति श्री राकेश कुमार टिवडवाल	साo मुंगेरी चक

जोत का सालाना मांगमय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत 2017-18		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल-गुजारी	(नकदी)	50=00				50=00	50=00
	(भावली)						
सेस	......						
*सूद	......						
मुतफरकात	......	25=00				25=00	25=0
मीजान		75=00				75=00	75=00

150=00

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2017-18		बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल-गुजारी	(नकदी)				50=00	50=00	
	(भावली)						
सेस	......						
*सूद	......						
मुतफरकात	......				25=00	25=0	
मीजान अदायकारी					75=0	75=00	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में)-- 150/ एक सौ पचास रुपया मात्र

(2) नाम देहिन्दा -- स्वयं

(3) कुल बकाया -- x

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों के जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो), सूद नहीं लिया जाता है।

SPL-16-17

खाता खेसरा
226 111
क, ख

2/3/18